संख्या- 1-2026-डीएफए- 1410297-38-7099-2740-2019

प्रेषक,

सौरभ बाबू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 16-02-2026

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजना/विकसित भारत रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन(ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में पंजीकरण के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-137/अड़तीस-7-2022-63नरेगा/2009, दिनांक 21-03-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में पंजीकरण के संबध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

मनरेगा योजना/विकसित भारत रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन(ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अन्तर्गत मैटेरियल, ईंधन, स्टेशनरी व अन्य सामग्री अथवा सर्विस की आपूर्ति हेतु मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मी(क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक लेखाकार, कम्प्यूटर आपरेटर व ग्राम रोजगार सेवक एवं **'सोशल आडिट के अन्तर्गत नियुक्त जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लाक संसाधन**

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यक्ति, ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर(DRP,BRP, BSAC, DSAC) एवं कम्प्यूटर आपरेटर।' के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों द्वारा स्थापित फर्म/कम्पनीय को वेण्डर के रूप में रजिस्टर नहीं किया जायेगा। परिवार/सम्बन्धी का तात्पर्य जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 के पैरा 54 के अनुसार पिता, पितामह, श्वसुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भांजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई और बहनोई, पति, पति का भाई, पति की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, बहन, भाभी जो भाई या सगे चचेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो, माता, सास, चाची या मामी से है।''

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में मनरेगा कार्यक्रम/विकसित भारत रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन(ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) के अन्तर्गत वेण्डर के रूप में रजिस्टर्ड फर्म/कम्पनी की पृष्ठभूमि उपरोक्त निर्देश के क्रम में पुनः जांच करते हुए उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सौरभ बाबू
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1-2026-डीएफए- 1410297-38-7099-2740-2019तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in